| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 9/5/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।<br>Rajendra<br>सहायक कलेक्टर बापिणी | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 9/5/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।<br>Rajendra<br>सहायक कलेक्टर बापिणी | |

# न्यायालय सहायक कलेक्टर बापिणी जिला फलोदी

क्रमांक कोर्ट/2025/ 313              दिनांक :– 2/6/25

प्रेषित,

तहसीलदार बापिणी ।

विषय–माफिक निर्णय की पालना बाबत् ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 46/25 अनवान [illegible] V/S कुम्भाराम धारा 111, 128 निर्णय दिनांक 9/6/25 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है। अतः आप यदि किसी उच्चतर न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो नियमानुसार माफिक निर्णय पालना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– प्रार्थना पत्र प्रति।

रीडर

सहायक कलेक्टर एवम
उपखण्ड अधिकारी बापिणी

सहायक कलेक्टर बापिणी
जिला फलोदी

Reader
check & Report

सेवामें,

श्रीमान् न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी लोहावट

जिला फलौदी।

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या /2024

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. हडमानराम पुत्र देवाराम<br>जाति जाट निवासी कपुरियां तहसील बापिणी जिला फलौदी। | | 1. कुम्बाराम पुत्र तुलछाराम<br>2. राजी पत्नी धनाराम<br>सभी जाति जाट निवासी कपुरियां तहसील बापिणी जिला जोधपुर।<br>3. तहसीलदार बापिणी जरीये भूमिधारी राजस्थान सरकार। |

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पत्थरगढी करवाने बाबत।</u>

मान्यवरजी,

प्रार्थी की ओर से निम्न निवेदन है कि –

1. यह है कि प्रार्थी एवं अन्य पडौसीयों की खातेदारी भूमि तहसील बापिणी के पटवार मण्डल बापिणी के राजस्व ग्राम बापिणी में खसरा नम्बर 891 रकबा 8.2556 हैक्टेयर, एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 890/1, 890 व 892 भूमि आयी हुई है। जिसकी चालू चौसाला जमाबन्दी व नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र पेश है।

2. यह है कि प्रार्थीगण के उपरोक्त खातेदारी भूमि के चिपते ही उत्तरी दिशा की ओर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 890/1, 890 व 892 की भूमि आयी हुई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी के मध्य सीमाचिन्ह नदारद होने के कारण प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के लिए तहसीलदार बापिणी के समक्ष आवेदन कर नियमानुसार पैमाईश फिस अदा कर पेश किया गया। जिस पर तहसीलदार बापिणी द्वारा दिनांक 22.04.2024

7. यह है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की कणा माठों पर सीमा चिन्ह के आधार पर पत्थर गढढी करवाना चाहता है तथा पत्थर गढढी हो जाने से प्रार्थीगण की भुमि का समूचित विकास एंव खेत की सुरक्षा हो सकें फसलों को नुकशान से बचाया जा सके और पड़ौसियांन के बीच अनावश्यक सिमा विवाद उत्पन्न होने से बचने के लिए स्वम के खेत की कृर्षि भुमि की पत्थर गढढी करवाने के अधिकारी है और पड़ौसियान के मध्य सीमाओं को लेकर कोई विवाद ज्यादा नहीं बढे इसलिए राजस्व टिम से सीमाकनं व पत्थर गढढी करवाना चाहते है।

8. यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पड़ौसी खातेदार के मध्य अनावश्यक सीमा विवाद उत्पन्न होता रहता है इससे तंग–हेरान् होकर मजबूर एवं विवश होकर यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है ताकि विवाद और आगे अधिक नही बढे। और यह प्रार्थना पत्र नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार किया जा कर सिमाकन टीम गठित कर पत्थर गढढी करने का आदेश प्रदान कराया जावें

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील बापिणी के पटवार मण्डल बापिणी के राजस्व ग्राम बापिणी के खसरा नम्बर 891 रकबा 8.2556 हैक्टेयर उत्तरी दिशा की सीमा अर्थात प्रार्थी की भूमि एवं अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य की सीमा का राजस्व टीम गठीत करवाकर, सीमांकन किया जाकर पत्थर गढी करवाने का आदेश तहसीलदार बापिणी को प्रदान करावें और मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए भार साधक अधिकारी को मौके पर जाब्ता उपलब्ध करवाने के लिए पाबन्द करावें। आपकी अति कृपा होगी। इति दिनांक 15.07.2024

हडमानराम

राजूराम चौधरी (पल्ली)
एडवोकेट